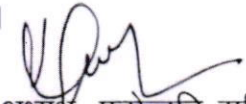


सूचना

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ के आदेशक्रमांक: स्था. 2026/19 दिनांक 22.07.2026 द्वारा इस समिति को झालावाड़ न्यायक्षेत्र में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III से स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के 06 रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः राजस्थान न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) के नियम 6(i)(a)(ii) एवं नियम 14(iv) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा दिनांक 02.08.2026 (रविवार) को प्रातः 07.30 बजे जिला न्यायालय भवन, झालावाड़, में आयोजित की जायेगी।

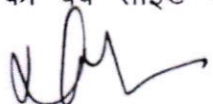
1. पात्रता:- स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी वर्तमान में झालावाड़ न्यायक्षेत्र के किसी न्यायालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के पद पर अधिष्ठायी रूप से कार्यरत हो तथा वर्तमान में परिवीक्षाधीन नहीं हो।
2. परीक्षा:- हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) के नियम 10(1)(b)(ii) के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी जिसका विवरण तथा योग्य अभ्यर्थियों की सूची इस सूचना के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों में अंकित हैं।
3. अन्य:- परीक्षा का परिणाम बन्द लिफाफे में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ को प्रेषित किया जायेगा। अभ्यर्थी को श्रुतिलेख परीक्षा में भाग लेने के लिए इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। अपरिहार्य कारणों से परीक्षा निरस्त करने अथवा परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन/परिवर्तन करने का अधिकार माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ का रहेगा।
4. इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित/कार्यरत समस्त आशुलिपिक ग्रेड तृतीय, जिनका परिवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है एवं जिन्होंने नियमानुसार गति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उक्त गति परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे अन्यथा यह माना जावेगा कि वे पदोन्नति का परित्याग करना चाहते हैं। परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

यह सूचना न्यायालय की वेबसाइट तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


अध्यक्ष, पदोन्नति समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
झालावाड़ (राज.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को जर्गे ई-मेल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर की सेवा में संबंधित कर्मचारी श्री जुबिन, स्टेनो ग्रेड-III (अंग्रेजी) को सूचित कराने हेतु सादर प्रेषित है।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़।
3. समस्त न्यायालय झालावाड़ न्यायक्षेत्र, जरिये ई-मेल।
4. कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय, झालावाड़ (आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु)।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, झालावाड़ न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड करने तथा परीक्षा संबंधी आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु।
6. नोटिस बोर्ड/आदेश/संबंधित पत्रावली।


अध्यक्ष, पदोन्नति समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
झालावाड़ (राज.)

कार्यालय अध्यक्ष, पदोन्नति समिति (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), झालावाड़ (राज.)

स्टेनोग्राफर ग्रेड-III से स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति हेतु
विभागीय गति परीक्षा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

1. हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख गति परीक्षा में अभ्यर्थी को राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम, 1986 (यथा संशोधित) के नियम 10(1)(b)(ii) के अन्तर्गत 75 शब्द प्रति मिनट की गति से 06 मिनट की डिक्टेशन दी जायेगी जिसके लिए आवेदक को पेन्सिल तथा पेन स्वयं अपने साथ लाना होगा तथा श्रुतिलेख को कम्प्यूटर पर देवनागरी लिपि में लिप्यान्तरित (ट्रांसक्रिप्ट) करना होगा जिसके लिए 50 मिनट का समय दिया जायेगा जो श्रुतिलेख समाप्त होने के 10 मिनट पश्चात् प्रारम्भ होगा। आशुलिपि की नोट बुक एवं ट्रांसक्रिप्शन शीट इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
2. श्रुतिलेख गति परीक्षा की समाप्ति के पश्चात् 30 मिनट का मध्यान्तर होगा। इसके पश्चात् 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से हिन्दी टंकण गति परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसकी समयावधि 10 मिनट की होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा गति परीक्षा हेतु दिया गया गद्यांश निर्धारित समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाता है, तो वह उसी गद्यांश को दोबारा टंकित कर सकेगा।
3. अभ्यर्थी को आशुलिपि नोट बुक एवं ट्रांसक्रिप्शन शीट पर निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम एवं रोल नम्बर लिखना है, अन्य किसी पृष्ठ पर अपना नाम/रोल नंबर नहीं लिखना है, न ही अपनी पहचान प्रकट करने वाला कोई चिन्ह अंकित करना है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऐसा किया गया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
4. हिन्दी टंकण गति परीक्षा में Cut, Copy, Paste, Delete, Back Space Keys कार्य नहीं करेंगी।
5. परीक्षा प्रारम्भ होने से 30 मिनट पूर्व तक परीक्षा कक्ष में पहुंचना अनिवार्य है। उसके पश्चात् किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
6. परीक्षा समाप्ति से पूर्व किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत विभागीय गति परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची निम्न प्रकार है :-

स्टेनो ग्रेड-III (अंग्रेजी)

क्र.सं.	नाम व पद कर्मचारी	पद
1.	श्री जुबिन	स्टेनो-III (अंग्रेजी)

स्टेनो ग्रेड-III (हिन्दी)

क्र.सं.	नाम व पद कर्मचारी	पद
1.	सुश्री सबा खॉन	स्टेनो-III
2.	श्री देशराज	स्टेनो-III
3.	सुश्री निकिता नागर	स्टेनो-III
4.	सुश्री साक्षी चावला	स्टेनो-III
5.	श्री राजाराम मीना	स्टेनो-III
6.	सुश्री मानसी सोनी	स्टेनो-III
7.	श्री आकाश शर्मा	स्टेनो-III
8.	श्री तपेन्द्र सिंह राजावत	स्टेनो-III


अध्यक्ष, पदोन्नति समिति
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
झालावाड़ (राज.)